समाचार पत्र पंजीयन क्र.: MPBIL/2004/13955 डाक पंजीयन संख्याः म.प्र./भोपाल/4–461/2018–20 मूल्य : रू. 10/–

Reg.No.:756-13.02.1960

उद्यम प्रेरणा

(एमएसएमई की सशक्त आवाज)

NABET Gold Category

पाक्षिक–वर्षः 16 अंकः 02 भोपाल दि.–25.01.2019

(परिपत्र क्र. 02)

परिपत्र क्रमांक : 02

कार्यकारिणी समिति 2017–19 की दिनांक 09.01.2019 को आयोजित 7वीं बैठक के मुख्य निष्कर्ष/निर्णय

म0प्र0 स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज आर्गेनाइजेशन की कार्यकारिणी समिति की 7वीं बैठक बुधवार दिनांक 09.01.2019 को दोपहर 12.00 बजे से होटल के–इन्टरनेशनल, भोपाल में आर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष **श्री कैलाश अग्रवाल** की अध्यक्षता मे आयोजित की गई।

सर्वप्रथम श्री कैलाश अग्रवाल अध्यक्ष एमपीएसएसआईओ ने उपस्थित सभी पदाधिकारियों, कार्यकारिणी समिति के सदस्यों एवं विशेष आमंत्रितों का स्वागत किया तथा नव वर्ष की शुभकामनाएं दी एवं श्री सुनील कुमार गोठी सचिव एमपीएसएसआईओ को एजेण्डा (कार्यसूची) के क्रम मे बैठक की कार्यवाही संचालित करने हेतु अधिकृत किया। श्री सुनील कुमार गोठी ने सभी उपस्थित जनों का स्वागत किया और विशेष आमंत्रित सदस्यों में एम.पी.एस.एस.आई.ओ. के आगामी चुनाव हेतु गठित चुनाव समिति में **मुख्य चुनाव अधिकारी श्री सुभाष विट्ठलदास, चुनाव अधिकारी द्वय श्री अजय नाहर एवं केप्टन व्ही.पी. सिंह** का विशेष उल्लेख करते हुए कार्यकारिणी समिति की ओर से उनका भी स्वागत् किया। तत्पश्चात श्री सुनील कुमार गोठी ने बैठक की कार्यसूची के क्रम में बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की।

1. कार्यकारिणी समिति की गत बैठक दिनांक 31.10.2018 के कार्यवाही विवरण पर पुष्टि एवं अनुमोदनः

श्री सुनील कुमार गोठी सचिव एमपीएसएसआईओ ने बताया कि गत बैठक दिनांक 31.10.2018 का कार्यवाही विवरण समिति के सभी सदस्यों को प्रेषित किया जा चुका है। साथ ही उद्यम प्रेरणा अंक क्रमांक 21 दिनांक 10.11.2018 में भी प्रकाशित किया जा चुका है तथा इस बैठक के एजेण्डा के साथ भी संलग्न है। यदि इसमें कोई विशेष परिवर्तन न हो और किसी को कोई आपत्ति न हो तो गत बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया जावे। अगर इसमें किसी को अपने कोई विचार रखना हो तो अवगत करावें।

इस पर गत बैठक के कार्यवाही विवरण के बिन्दु क्रमांक 5.3 ''संस्था संचालन सर्वाधिकारी समिति का गठन'' पर आपत्ति करते हुए श्री एन.के. सोनी, कार्यकारिणी सदस्य, मण्डीदीप ने यह जानना चाहा कि गठित समिति में समयावधि का उल्लेख नहीं है, इसे स्पष्ट किया जावे। आलरेडी निर्वाचित कार्यकारिणी समिति को बाई पास कर इस प्रकार की समिति के गठन की क्या आवश्यकता एवं औचित्य है; और आवश्यकता हुई भी तो टाईम लिमिट के बाद समस्या का समाधान होने के बाद इसे समाप्त किया जाना चाहिए। एक चुनी हुई एक्ज्युक्यूटिव बॉडी को कैसे बाय–पास कर रहे हैं। समिति की समयावधि क्या है इस बात की जानकारी दी जावे।

: प्रधान सम्पादक :	: सम्पादक :		
विपिन कुमार जैन	कैलाश अग्रवाल	अजय नाहर	सुनील कुमार गोठी

M.P. Small Scale Industries Organization

E-2/30, Arera Colony, Bhopal - 462016 (MP)

अध्यक्ष श्री कैलाश अग्रवाल ने श्री एन.के. सोनी कार्यकारणी सदस्य मण्डीदीप की बातों पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि सर्वाधिकार समिति के गठन पर विस्तृत चर्चा और निर्णय पिछली बैठक में हो चुका है सिर्फ इसके कार्यकाल का उल्लेख कार्यवाही विवरण में करना रह गया है अतएव उसमे संशोधन कर लिया जावे और 31 मार्च 2019 तक समिति की समयावधि नियत की जावे। इस समिति में जो पांच सदस्य हैं वे चुनी हुई एक्ज्यूक्यूटिव बॉडी के ही पदाधिकारी हैं। यह संस्था सदस्यों के लिए कार्य करती है और उसके लिए ही इसका गठन किया गया।

श्री सुनील भार्गव कोषाध्यक्ष एमपीएसएसआईओ ने आपत्ति की कि इस तरह की कोई तारीख निर्धारित नहीं हुई थी और अब चूंकि चुनाव होने है अतः समिति के अलावा जो स्थाई लोग हैं उन्हें भी कार्य करने दिया जाना चाहिए और उनका पनिशमेंट समाप्त किया जाना चाहिए। जिस पर अध्यक्ष श्री कैलाश अग्रवाल ने कहा कि कोई पनिशमेंट नहीं दिया गया है और इस तरह के शब्द को उपयोग में नहीं लाना चाहिए। पनिशमेंट शब्द का उपयोग कार्यवाही विवरण में नहीं किया गया है।

श्री संजय जैन संयुक्त सचिव मण्डीदीप ने जानना चाहा कि इस तरह की सर्वाधिकार समिति को बनाने की क्या वजह रही और क्या वो वजह समाप्त हो गयी है। श्रीमती कुमुद तिवारी कार्यकारिणी सदस्य भोपाल ने जानना चाहा कि प्रदेश स्तर की कार्यकारिणी रहते हुए जिला स्तर की कमेटी जो बनाई जा रही है उसकी क्या आवश्यकता है। गत बैठक के कार्यवाही विवरण पर हो रही चर्चा के बीच श्री सुनील कुमार गोठी ने अपनी भूल सुधार हेतु निवेदन करते हुए बताया कि तथा कार्यालय स्टाफ के अलावा उपस्थित व्यक्तियों की आज कुछ लोग कार्यकारिणी समिति की बैठक में उपस्थित हैं, जो कि न तो कार्यकारिणी समिति के सदस्य हैं और न ही विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। ये सभी कार्यकारिणी के कुछ सदस्यों एवं पदाधिकारियों के साथ होने के कारण बैठक में भाग ले रहे हैं। उन्होने स्वीकार किया कि उन्हें कार्यवाही के प्रारंभ में ही ऐसे लोगों की जानकारी सदन को देते हुए सदन का मार्गदर्शन प्राप्त कर लेना चाहिए था। उन्होंने सदन से आग्रह किया कि ऐसे सभी व्यक्तियों को विशेष आमंत्रित सदस्य मान लिया जाये, जिस पर सदन ने करतल घ्वनि से स्वीकार कर लिया।

आगे की चर्चा में श्री अजय नाहर उपाध्यक्ष, श्री सुबोध जैन उपाध्यक्ष, श्री अरूण जैन पूर्व अध्यक्ष, श्री वीरेन्द्र पोरवाल सचिव, श्री सुधीर कुमार मिश्रा संयुक्त सचिव, श्री अजय मिश्रा उपाध्यक्ष मण्डीदीप, श्री दीपक भण्डारी संयुक्त सचिव इन्दौर व अन्य सदस्यों ने भी चर्चा में भाग लिया। अध्यक्ष श्री कैलाश अग्रवाल ने पुनः दोहराया कि कुछ आवंछनीय गतिविधियॉ होने के पश्चात भी कार्यकारिणी समिति द्वारा किसी को कोई सजा नहीं दी गयी है और मात्र एक सर्वाधिकार समिति बनाई है।

श्री सुनील कुमार गोठी ने बताया कि पूर्व मे कुछ कृत्य ऐसे हो गये जिनको रोकने के लिए यह समिति बनाई गयी है ताकि एक व्यक्ति निर्णय न ले। अगर निर्णय लेने की प्रक्रिया में एक से अधिक व्यक्ति सम्मिलित होंगे तो निर्णय अधिक अच्छे से और सबके हित के होगे। क्यों मात्र एक ही व्यक्ति संस्था के सभी कार्यों पर निर्णय ले। अगर एक व्यक्ति के निर्णय के कार्य को पांच व्यक्तियों की समिति को सौंपा गया है तो निश्चित ही यह बेहतर व्यवस्था है, जिसमें गलतियां और गडबड़ियॉ होने की गुंजाइश कम हो जाती है। उन्होंने कहा कि इस पांच सदस्यीय समिति के प्रभारी श्री अजय नाहर उपाध्यक्ष हैं और समिति पिछले दो माह से अपना कार्य सुचारू रूप से कर रही है। अगर समिति से आपकी कुछ और अपेक्षाएं हैं तो आपके सुझाव आमंत्रित हैं। पूर्व में जो कुछ अवांछनीय घटना हो गयी हैं उनकी पुनरावृति न हो, ये हम सबको सुनिश्चित करना है। पूर्व में लिए गये निर्णय के अनुसार 31 मार्च 2019 तक इस समिति को कार्य करने दें। अभी चुनाव होने हैं। चुनाव के बाद जो कार्यकारिणी आयेगी वो अपना निर्णय स्वयं ले लेगी।

अध्यक्ष श्री कैलाश अग्रवाल ने कहा कि चुनाव की प्रक्रिया अब प्रारंभ हो रही है और इसके बीच में हम कोई भी प्रशासनिक फेर बदल न करते हुए समिति को अपना कार्य करने दें। जिला स्तर की समिति हेतु उन्होंने कहा

कि इस पर विस्तृत चर्चा पूर्व में हो चुकी है कि ये संविधान में नहीं है पर हम इसे प्रायोगिक तौर पर कार्यकारिणी को प्राप्त समिति बनाने के अधिकार के अंतर्गत बनाना चाहते हैं। जिला समिति के लिए स्वीकृति पिछली बैठकों में ले ली गयी थी और इस पर चर्चा भी हो चुकी है। अतः इस पर अब आपत्ति करना उचित नहीं है।

श्री विपिन कुमार जैन, महासचिव ने समिति को बताया कि सर्वाधिकारी समिति के लिए मेरी स्वीकृति एक मात्र उन सभी सदस्यों की भावनाओं का आदर करने के लिए थी जो यह चाहते थे कि वे अपने हिसाब से संस्था चलाएंगे और मैं अपने को कुछ समय के लिए विश्राम देता हूँ तथा संस्था के लिए बिना आफिस गये संस्था का लाभ करूँगा। संस्था संचालन हेतु इस प्रकार की सर्वाधिकार समिति का गठन असंवैधानिक है। जिला स्तरीय समिति का गठन भी असंवैधानिक है। इन दो बिन्दुओं पर मेरी आपत्ति दर्ज कर ली जाये।

श्री सुधीर कुमार मिश्रा संयुक्त सचिव ने इसका विरोध करते हुए कहा कि समितियां बनाने का निर्णय पूर्व में सर्व सम्मति से हुआ था और अब इस निर्णय का विरोध करना गलत है। श्री कैलाश अग्रवाल अध्यक्ष ने व्यवस्था देते हुए कहा कि जिला स्तरीय समिति बनाने का निर्णय पूर्व में लिया जा चुका है और आज सिर्फ कार्यवाही विवरण का अनुमोदन होना है अतः आपत्ति गलत है।

श्री देवेन्द्रपाल सिंह चावला, संयुक्त सचिव, एमपीएसएसआईओ ने कहा कि श्री विपिन कुमार जैन की आपत्ति नोट कर ली जावे तथा आगे एजेण्डा पर चर्चा की जावे।

श्री सुधीर कुमार मिश्रा संयुक्त सचिव ने कहा कि हम सब हमारे विरोधाभासों को भुलाकर संगठन को मजबूत करें और आगे बढ़ें। श्री विपिन कुमार जैन महासचिव ने पुनः अपनी आपत्ति दर्ज करायी तो श्री अजय मिश्रा उपाध्यक्ष मण्डीदीप ने कहा कि ये आपत्ति क्या है, जब एक बार निर्णय हो चुका है तो इस पर आपत्ति क्या है और क्यों है। श्री सुधीर कुमार मिश्रा संयुक्त सचिव ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि निर्णय तो पिछली बैठक में ही हो चुका है, आज तो सिर्फ कार्यवाही का अनुमोदन होना है। श्री सुनील कुमार गोठी सचिव ने कहा कि एक ही आपत्ति है और बाकी किसी को आपत्ति नहीं है। श्री अजय मिश्रा उपाध्यक्ष मण्डीदीप ने कहा कि आपत्ति है क्या अगर जिला समिति में उसे अध्यक्ष नहीं कहना है तो कोई और नाम दे दो पर लोगों को काम करने दो।

श्री सुनील भार्गव, कोषाध्यक्ष एमपीएसएआईओ ने कहा कि दो विषय सर्वाधिकार समिति और जिला स्तरीय समिति के आपस में मिल गये हैं। उन्होने कहा कि पहले विषय में संस्था संचालन सर्वाधिकार समिति में महासचिव का नाम जोड़ा जावे या फिर समिति को समाप्त किया जावे। दूसरे विषय में जिला समिति का कार्यकाल सुनिश्चित किया जावे।

श्री अरूण जैन पूर्व अध्यक्ष एमपीएसएसआईओ ने यह सुझाव दिया कि उपरोक्त दोनों व्यवस्थाओं में संविधान मे उल्लेखित व्यवस्था के अतिरिक्त यदि कोई समिति या व्यवस्था बनाने का निर्णय कार्यकारिणी समिति द्वारा लिया जाता है तो उसका कार्यकाल कार्यकारिणी समिति के कार्यकाल से जोड़ा जावे अर्थात कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल जब तक होगा ये समितियां कार्य करती रहेंगी और कार्यकारिणी का कार्यकाल समाप्त होने पर समितियॉ/व्यवस्था स्वमेव समाप्त मानी जावेगी। अन्य पूर्णकालिक स्वतंत्र व्यवस्था हेतु संविधान मे विधिवत संशोधन कर व्यवस्था लागू की जावे। जिस पर सदन ने स्वीकृति प्रदान की।

अध्यक्ष श्री कैलाश अग्रवाल ने निर्णय दिया कि कार्यकारिणी समिति में यह स्वीकृति बनी है कि ये दोनों समितियां सर्वाधिकार समिति और जिला स्तरीय समिति वर्तमान कार्यकारिणी के कार्यकाल तक कार्य करती रहेंगी। कार्यवाही विवरण में अन्य कोई चर्चा न होकर पुष्टी की गयी।

श्री सुनील कुमार गोठी ने सदन की मन्शा अनुसार आगे की कार्यवाही प्रारंभ की।

2) गत बैठक में लिये गये निर्णयों पर ATR की जानकारीः

श्री सुनील कुमार गोठी सचिव एमपीएसएसआईओ ने बताया कि गत बैठक में लिये गये निर्णयों पर कार्यवाही कर ली गई है, जिसका ATR संलग्न है, जिसे समिति ने स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने को कहा।

3) दिनांक 31.10.2018 की बैठक के पश्चात सदस्यता हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार एवं स्वीकृतिः

श्री सुनील कुमार गोठी सचिव, एमपीएसएसआईओ ने समिति को बताया कि गत बैठक दि. 31.10.2018 के पश्चात 16 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। समिति ने सभी आवेदकों के आवेदन पत्र को स्वीकार कर जिस माह में आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, उस माह की पहली तारीख से सदस्यता प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की। सूची निम्नलिखि है।

1. Malaiya Cement Products, Narsinghpur.
2. Kalpataru Multiplier Ltd., Bhopal
3. Akshya Tyre Industries, Hoshangabad
4. Janki Security Services, Bhopal
5. Taran Steel Furniture, Bhopal
6. Shanta Farms, Indore
7. Nature Boon, Chhindwara
8. Kunal Motors, Chhindwara
9. Rajendra Kumar Pannalal, Pandhurna.
10. Shahid Engineering Works, Bhopal
11. MP Grains & Foods (I) Pvt.Ltd., Ujjain
12. Rainbow Enterprises, Dewas
13. TS Industrys, Bhopal.
14. Shaad Enterprises, Bhopal.
15. Patel Fab Industries, Bhopal.
16. Uttam Crop Science, Itarsi.

4) ऐसे सदस्यों की सूची जिन्होंने सदस्यता त्यागने की इच्छा प्रगट की है या जो बंद हो गये हैं अथवा जिनकी ओर लम्बे समय से आर्गेनाइजेशन की सदस्यता शुल्क की राशि बकाया है पर विचारः

श्री सुनील कुमार गोठी सचिव, एमपीएसएसआईओ ने विभिन्न संभागों के 52 सदस्यों की सूची समिति के समक्ष रखी, जिनकी ओर दो वर्ष से अधिक अवधि की राशि बकाया है अथवा त्याग पत्र प्राप्त हुए है या जो बंद हो गये हैं एवं जिन्होंने सदस्यता जारी रखने में अनिच्छा व्यक्त की है। इस पर समिति ने विचार कर सूची के सभी 52 सदस्यों की सदस्यता समाप्त करने तथा उनकी ओर बकाया राशि रूपये 61600/– बट्टे खाते में डालने की स्वीकृति प्रदान की।

विषय पर सर्व सम्मति से यह भी निर्णय लिया गया कि उपरोक्त 52 सदस्यों में से किसी भी सदस्य का बकाया शुल्क अगर 31.01.2019 तक प्राप्त हो जाता है तो उसकी सदस्यता जारी रखी जाये।

5. म.प्र. स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज आर्गेनाइजेशन के वर्ष 2019–21 के चुनाव हेतु प्रारूप नियमावली/प्रक्रियाओं पर चर्चाः

अध्यक्ष श्री कैलाश अग्रवाल जी ने व्यवस्था दी कि श्री सुनील कुमार गोठी सचिव एमपीएसएसआईओ द्वारा प्रारूप चुनाव सूचना एवं नियामावली समिति को पढ़कर सुनाया जावे। चुनाव सूचना के अन्तर्गत यह प्रस्तावित है कि वे सभी प्राथमिक सदस्य जिनका वर्ष 2018–19 तक का सदस्यता शुल्क तथा अन्य देयक (यदि कोई हो) का 31 जनवरी 2019 तक भुगतान प्राप्त हो चुका हो, चुनाव में भागीदारी कर सकेंगे। अनेक सदस्यों ने सुझाव दिया कि सदस्यता शुल्क की राशि 31.01.2019 तक प्राप्त होने के बारे में स्पष्ट हो कि 31.01.2019 तक चेक प्राप्त हो जाना चाहिए या खाते में पैसा आ जाना चाहिए। इस पर समिति ने निर्णय लिया कि दिनांक 31.01.2019 तक चेक अथवा नगद राशि प्राप्त हो जाना चाहिए। सदस्यों ने निर्णय किया कि चेक डिसआनर होने पर संबंधित सदस्य से सम्पर्क कर नगद राशि ही ली जावे। सदन ने 31 जनवरी 2019 को वैध मतदाता सूची के निर्धारण हेतु अंतिम तिथि रखने पर अपनी स्वीकृति प्रदान की।

श्री एन.के. सोनी, कार्यकारिणी सदस्य मण्डीदीप ने जानकारी चाही कि साधारण सभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया क्या है ? और उनकी संख्या का निर्धारण कैसे होता है ? जिस पर श्री सुनील कुमार गोठी सचिव एमपीएसएसआईओ ने सभी उपस्थित सदस्यों को विस्तार से चुनाव और संख्या निर्धारण की प्रक्रिया को समझाया और संविधान में उल्लेखित दो स्तरीय चुनाव प्रक्रिया (1) प्रत्येक जिले से साधारण सदस्यों के चुनाव जिले के वैध ा प्राथमिक सदस्यों द्वारा तथा (2) प्रदेश स्तरीय कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के चुनाव चुने गये साधारण सभा सदस्यों द्वारा किया जाना बताया।

श्री अजय नाहर, उपाध्यक्ष तथा चुनाव अधिकारी एमपीएसएसआईओ ने जानकारी चाही कि किसी भी जिले के साधारण सभा के सदस्य का चुनाव उसी जिले के ही प्राथमिक सदस्य करेंगे या पूरे प्रदेश के प्राथमिक सदस्यों द्वारा उनका चुनाव किया जायेगा। श्री सुनील कुमार गोठी ने बताया कि उक्त जानकारी नियमावली के पाठन के दौरान दी जावेगी, क्योंकि उस विषय पर एक आपत्ति भी प्राप्त हुई है।

श्री एन.के. सोनी, कार्यकारिणी सदस्य मण्डीदीप ने पुनः प्रश्न किया कि साधारण सभा के सदस्यों के चुनाव के दिन ही कार्यकारिणी का चुनाव कैसे सम्पन्न हो सकता है। अध्यक्ष श्री कैलाश अग्रवाल ने उनकी शंका का समाधान करते हुए बताया कि साधारण सभा के सदस्यों के चुनाव परिणाम की घोषणा के उपरांत कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के चुनाव की सूचना चुनाव अधिकारी द्वारा जारी की जावेगी, जिसमें आगे की तिथियों में चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न किये जाने की सम्पूर्ण जानकारी दी जावेगी। उस दिन सिर्फ सूचना जारी होगी और चुनाव बाद में होंगे। इसके साथ ही चुनाव सूचना के प्रारूप को सदस्यों द्वारा अनुमोदित कर दिया गया।

इसके उपरांत चुनाव नियमावली का पाठन श्री सुनील कुमार गोठी द्वारा प्रारंभ किया गया। श्री एन.के. सोनी, ने सुझाव दिया कि प्रत्येक साधारण सभा के प्रत्याशी आवेदन शुल्क रू. 1500/– देना होता है। अतः उन्हें मतदाता सूची निःशुल्क दी जावे। उपरोक्त सुझावों को समिति ने स्वीकार किया।

श्री सुनील कुमार गोठी ने बताया कि साधारण सभा सदस्य के चुनाव में संबंधित जिले के सभी वैध प्राथमिक मतदाता मत देने के अधिकारी होंगे। इस पर श्री विपिन कुमार जैन की आपत्ति प्राप्त हुई है। श्री विपिन कुमार जैन महासचिव एमपीएसएसआईओ द्वारा लगाई गयी आपत्ति यह है कि उपरोक्त नियम में ''साधारण सभा के चुनाव में प्रदेश के सभी वैध प्राथमिक मतदाता मत देने के अधिकारी होंगे, लिखा जाना चाहिए। इस पर अध्यक्ष श्री कैलाश अग्रवाल ने जवाब दिया कि मुख्य रूप से हमारा संविधान तीन स्तर का है जिसमें तीन सभाएं है – 1) साधारण सभा 2) कार्यकारिणी सभा तथा 3) विशेष साधारण सभा, साधारण सभा के सदस्य की पात्रता है कि किसी भी जिले के प्रत्येक 20 सदस्यों पर उसके किसी भाग पर एक अतिरिक्त सदस्य उस जिले के प्रतिनिधि के रूप में होता है। दूसरी कार्यकारिणी सभा के चुनाव की प्रक्रिया जो दी गयी है वो संविधान में उल्लेखित है। उन्होंने बताया कि अगर जिले में 40 मतदाता हैं तो नियमावली में दी गयी प्रक्रिया से अपने में से दो साधारण सभा सदस्य चुनेंगे और दूसरी प्रक्रिया में इस जिले के साधारण सभा सदस्यों हेतु पूरे प्रदेश के अगर 900 वैध मतदाता हैं तो वे सभी मतदान करेंगे। दूसरी प्रक्रिया को कई सदस्यों ने गलत बताया।

श्री वीरेन्द्र पोरवाल सचिव एमपीएसएसआईओ ने कहा कि एक जिले के चुनाव में दूसरे जिले का मतदाता क्या जानेगा कि वह प्रत्याशी कौन है। अनेक सदस्यों ने नियमावली में दी गयी प्रक्रिया को सही बताया और आपत्ति को अव्यवहारिक बताया। श्री विपिन कुमार जैन महासचिव एमपीएसएसआईओ ने बताया कि अभी तक पूर्व में हुए चुनावों में अगर किसी जिले में चुनाव होता है तो उसको पूरे प्रदेश के वैध मतदाता वोट देते रहे हैं और यही परीपाटी रही है। इस पर श्री सुनील कुमार गोठी ने आपत्ति करते हुए कहा कि अगर कोई परिपाटी गलत है तो उसे बदला जाना चाहिए। इस पर श्री विपिन कुमार जैन ने कहा कि संविधान में कार्यकारिणी समिति के चुनाव में लिखा है कि

प्रदेश स्तर की प्राथमिक ईकाइयॉ मत देंगी। चूंकि कार्यकारिणी समिति के चुनाव में साधारण सभा सदस्य ही मत देते है अतः यह कैसे हो सकता है कि पूरे प्रदेश के प्राथमिक मतदाता कार्यकारिणी के चुनाव में मतदान करें। अगर हमें इसकी विवेचना करनी है तो रजिस्ट्रार आफिस जाकर उसका समाधान करना चाहिए। श्री वीरेन्द्र पोरवाल सचिव एमपीएसएसआईओ तथा श्रीमती कुमुद तिवारी कार्यकारिणी सदस्य ने जानना चाहा कि साधारण सभा के सदस्य के चुनाव हेतु संविधान क्या कहता है। इस पर अध्यक्ष श्री कैलाश अग्रवाल ने सभी सदस्यों को संविधान में बिन्दु क्रमांक 8 संस्था और सभाएं के अंतर्गत साधारण सभा के विषय में पढ़कर बताया कि साधारण सभा का गठन प्रत्येक जिले के 20 प्राथमिक सदस्यों या उसके अंश पर चुना गया एक सदस्य साधारण सभा का सदस्य होगा। श्री संजय जैन संयुक्त सचिव मण्डीदीप ने कहा कि इससे स्पष्ट है कि साधारण सभा सदस्य जिले का है और चुनाव जिले से ही होना चाहिए। अध्यक्ष श्री कैलाश अग्रवाल ने कहा कि साधारण सभा के चुनाव की प्रक्रिया यहां स्पष्ट है और हमें कार्यकारिणी समिति की चुनाव प्रक्रिया से उधार लेने की आवश्यकता नहीं है।

श्री विपिन कुमार जैन महासचिव एमपीएसएसआईओ ने कहा कि 58 वर्षों से उपरोक्त प्रक्रिया चल रही है जिस पर अनेक सदस्यों ने आपत्ति ली कि 58 वर्षों का उल्लेख ठीक नहीं है क्यों कि संविधान में संशोधन अभी कुछ वर्ष पूर्व ही किया गया है। अध्यक्ष श्री कैलाश अग्रवाल ने बताया कि अक्टूबर 2016 में संविधान संशोधन पारित होकर लागू हुआ है। श्री सुनील भार्गव कोषाध्यक्ष एमपीएसएसआईओ ने पूछा कि यह कहां लिखा है कि जिले के सदस्य ही साधारण सभा का चुनाव करेंगे। इस पर श्री योगेश गोयल संयुक्त सचिव भोपाल ने पूछा कि संविधान में यह कहां लिखा है कि जिले के सदस्य को 1400 सदस्य चुनेंगे। श्री योगेश गोयल संयुक्त सचिव भोपाल संभाग ने कहा कि पूर्व में हमारी संस्था 200 सदस्यों की थी तब यह ठीक हो सकता होगा कि पूरे प्रदेश के लोग एक जिले का चुनाव करें पर अब प्रत्येक जिले में आपके 80–90–100 सदस्य हो सकते हैं। किसी भी उम्मीदवार के लिए यह संभव नहीं है कि वह पूरे प्रदेश के 1400 सदस्यों को सम्पर्क करें। इसमें एक ही चीज होती है कि हमारे आर्गेनाइजेशन में जब गुटबाजी होती है तो एक ही व्यक्ति लिखकर भेज देता है कि इनको वोट देना। इस प्रक्रिया में चुनाव ठीक नहीं होता है।

श्री कैलाश अग्रवाल अध्यक्ष ने कहा कि मैं व्यवस्था देता हूँ कि हमारा संविधान संशोधन 2016 में पास हुआ है और हम उसके पहले की परम्परा की कोई बात नहीं करेंगे। यह कार्यकारिणी सभा सक्षम है नये नियम बनाने के लिए अतः अपने चुनाव के लिए हम नये नियम बनाएं। यह कार्यकारिणी नियम बनाने के लिए सक्षम है।

उपरोक्त चर्चा के दौरान श्री सुभाष विट्ठलदास मुख्य चुनाव अधिकारी ने कहा कि आप लोग जो चाहते है वो दे दें। हम रजिस्ट्रार से चर्चा कर संविधान के अनुसार संयुक्त रूप से चुनाव समिति में निर्णय लेंगे। जो रजिस्ट्रार कहेंगे और जो संविधान के अनुसार होगा वही हम करेंगे। अगर संविधान के विरूध कुछ होगा तो मैं आपके पास आऊंगा और फिर आपलोगों को संविधान में संशोधन करना पड़ेगा तब कुछ हो सकेगा। श्री अरूण जैन पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि ये कार्यकारिणी द्वारा दिया गया नियमों का प्रारूप है और इसे नियमों का आप कम या ज्यादा कर सकते हैं जिस पर निर्णय लेने हेतु वे अधिकृत है।

श्री एन.के. सोनी कार्यकारिणी सदस्य मण्डीदीप ने कहा कि कार्यकारिणी समिति जो नियम बना कर चुनाव अधिकारी को देगी वो उन्हीं नियमों के अंतर्गत चुनाव कराने के लिए बाद्ध हैं। उन्होने उदाहरण दे कर समझाया कि जिस जिले से ज्यादा सदस्य होंगे वहीं के लोग चुनाव में कौन चुनकर आयेगा यह निर्धारित कर लेंगे और उस जिले का प्रतिनिधित्व सही नहीं होगा। उन्होने आगे कहा कि चुनाव अधिकारी इस विषय में क्लेरिफिकेशन ले लें पर इसके कारण चुनाव पोस्टपोन नहीं होना चाहिए।

श्री विपिन कुमार जैन महासचिव ने पूछा कि श्री सुभाष विट्ठलदास जी ये बतायें कि ये जो इलेक्शन का नोटिस दिया गया है क्या ये आपसे पूछकर दिया गया है। इस पर श्री अरूण जैन ने यह प्रतिक्रिया दी की यह ड्राफ्ट है न कि नोटिस। श्री सुनील कुमार गोठी ने बताया कि ये सदस्यों को भेजा नहीं गया है और सिर्फ कार्यकारिणी में चर्चा हेतु रखा गया है और यह प्रारूप है जिसमें अभी चुनाव अधिकारी के हस्ताक्षर नही हैं। श्री विपिन कुमार जैन महासचिव द्वारा इंगित करने पर अध्यक्ष श्री कैलाश अग्रवाल ने कहा कि इस पर ड्राफ्ट लिखा होना था ये हमारी गलती है कि ड्राफ्ट नहीं लिखा जिसे हम स्वीकार करते हैं। श्री अरूण जैन पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि ये चुनाव अधिकारी के लिए प्रक्रिया की गाइडलाईन हैं।

श्री संजय जैन संयुक्त सचिव मण्डीदीप ने प्रतिक्रिया दी कि जब कार्यकारिणी को पूरे अधिकार है तो हम प्रत्येक विषय पर निर्णय लेते हुए आगे बढ़े। उन्होंने पूछा जिले के चुनाव में जिले के मतदाता ही लेना चाहते हो या पूरे प्रदेश से। जिस पर अनेक सदस्यों ने जिले स्तर पर करने का सुझाव दिया। श्री एन.के. सोनी ने एजेण्डा के बिन्दु क्रमांक 5 को उधृत करते हुए कहा कि चुनाव हेतु नियम/प्रक्रियाओं का निर्धारण एवं अनुमोदन अर्थात

नियम/प्रक्रियाओं का निर्धारण हम ही करेंगे और जो प्रारूप संलग्न है वो अनुमोदन हेतु है। इस पर मुख्य चुनाव अधिकारी श्री सुभाष विट्ठलदास ने कहा कि अगर रजिस्ट्रार ऑफ सोसायटी बोलेगा कि हमारे ऊपर छोड़ दिया है तो हम तीन लोगों की चुनाव समिति में निर्णय ले लेंगे। अगर वो बोलता है कि संविधान संशोधन करना होगा हो तो जब तक बायलॉज चेंज नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। श्री देवेन्द्र पाल सिंह चावला संयुक्त सचिव ने कहा कि श्री सुभाष भाई अधिकृत हैं और आप की कमेटी जो निर्धारित करेगी वो फाइनल है।

नियमावली में उल्लेखित बिन्दु ''प्रदेश का कोई भी मतदाता किसी भी कार्यकारिणी सदस्य एवं पदाधिकारी पद के उम्मीदवार का प्रस्तावक एवं समर्थक हो सकता है।'' इस पर श्री विपिन कुमार जैन महासचिव ने कहा कि इस कार्यकारिणी में साधारण सभा भी जुड़ी हुई है। जिस पर श्री संजय जैन संयुक्त सचिव मण्डीदीप ने कहा कि साधारण सभा और कार्यकारिणी सभा के चुनाव की नियमावली को अलग–अलग किया जाये। श्री सुनील कुमार गोठी सचिव ने इस पर श्री सुभाष विट्ठलदास मुख्य चुनाव अधिकारी का मार्गदर्शन चाहा। इस पर उन्होने कहा कि कार्यकारिणी चुनाव के लिए जो साधाराण सभा के सदस्य चुनकर आये हैं वो ही वैध मतदाता हैं। सदस्यों ने निर्णय लिया कि कार्यकारिणी समिति के चुनाव हेतु प्रस्तावक अथवा समर्थक चुने हुए साधारण सभा सदस्य में से ही होना चाहिए।

श्री अजय मिश्रा उपाध्यक्ष मण्डीदीप ने प्रश्न किया कि क्या चुनाव की पूरी प्रक्रिया संविधान में लिखी है जिस पर अध्यक्ष श्री कैलाश अग्रवाल ने कहा कि ये नहीं लिखी है। उन्होने कहा कि यह चुनाव प्रक्रिया हम यहां पर अनुमोदन के लिए रख रहे हैं जिसका क्रियांन्वयन चुनाव अधिकारी करेंगे। इस पर मुख्य चुनाव अधिकारी श्री सुभाष विट्ठलदास ने कहा कि आप कुछ भी चर्चा कर लेवें पर आप जो दे रहे है अगर वो जो संविधान में लिखा है उसके प्रतिकूल हुआ तो मैं आपको बताऊंगा और आपको सलाह दूंगा कि संविधान में संशोधन करो। इस पर श्री देवेन्द्रपाल सिंह चावला संयुक्त सचिव ने कहा कि अगर ज्यादा नियम बनाएंगे तो चुनाव नहीं हो पाएंगे, हम क्यों विवाद पैदा कर रहे हैं, इस तरह सालों साल चुनाव नहीं हो पाऐंगे। इस पर श्री अजय मिश्रा उपाध्यक्ष मण्डीदीप ने सुझाव दिया कि हम कार्यकारिणी समिति में जो प्रक्रिया अनुमोदित कर रहे हैं अगर उस पर चुनाव अधिकारी को कोई आपत्ति हो तो वो पांच लोगों की कमेटी में बैठें और उसका निराकरण कर लेवें। पूरी चर्चा में श्री अजय नाहर उपाध्यक्ष, श्री वीरेन्द्र पोरवाल सचिव, श्री सुधीर मिश्रा संयुक्त सचिव, श्री दीपक भण्डारी संयुक्त सचिव इन्दौर, श्री योगेश गोयल संयुक्त सचिव भोपाल, श्री संजय जैन संयुक्त सचिव मण्डीदीप ने हिस्सा लिया।

चर्चा का निष्कर्ष निकालते हुए अध्यक्ष श्री कैलाश अग्रवाल ने कहा कि काफी चर्चा हुई और चर्चा में मुख्य बिन्दु आये कि जिले के वोटर कौन होंगे और कार्यकारिणी चुनाव के लिए जो अस्सी लोग जीत कर आये तो उनके प्रस्तावक एवं समर्थक सब होंगे कि नहीं। सदन की राय को समाविष्ट करते हुये अध्यक्ष कैलाश अग्रवाल ने यह निर्णय दिया कि इसमें अधिकतम लोगों के विचार हैं कि जिले के चुनाव में वोटर जिले का ही होना चाहिए और दूसरा साधारण सभा के जीत कर आये अस्सी लोगों का प्रस्तावक एवं समर्थक अस्सी लोगों में से ही होना चाहिए। इसमें चाहे जितने लोगों का प्रस्तावक एवं समर्थक एक व्यक्ति हो सकता है पर वे सारे पद अलग–अलग हों। अगर कोई अध्यक्ष के लिए प्रस्तावक है तो वो अध्यक्ष पद के दूसरे प्रत्याशी का प्रस्तावक एवं समर्थक न हो। ये दोनों बिन्दु पास किये जाते हैं। इस पर श्री सुनील कुमार गोठी ने कहा कि अगर किसी की ये आपत्ति आती है कि ऐसा संविधान में कहा लिखा है तो श्री कैलाश अग्रवाल अध्यक्ष ने बताया कि हम ये निर्णय संविधान के अंतर्गत ही ले रहे हैं। श्री विपिन कुमार जैन महासचिव ने कहा कि जो बात संविधान में नहीं लिखी है वो सोसायटी एक्ट से गवर्न होगी। श्री सुनील कुमार गोठी सचिव ने एक अन्य बिन्दु कि ''कार्यकारिणी समिति के चुनाव में चुने गये साधारण सभा सदस्यों को ही भाग लेने और मतदान की पात्रता होगी और डाक द्वारा मतदान का अधिकार'' विषय चर्चा हेतु लिया जिस पर विभिन्न सदस्यों ने अपनी प्रतिक्रिया दी।

6. आर्गेनाइजेशन की आर्थिक मार्गदर्शिका पर विचार एवं अनुमोदनः

समयाभाव के कारण उक्त बिन्दु पर चर्चा नही हो सकी

7. अध्यक्ष महोदय की अनुमति से लिये गये अन्य विषयः

1. एमपीएसएसआईओ की डायरेक्टरी से संबंधितः

श्री कैलाश अग्रवाल अध्यक्ष एमपीएसएसआईओ ने समिति को बताया कि डायरेकटरी का प्रकाशन पूर्ण रूप से हो गया है, इसका विमोचन नही हो पाया है। सदन ने निर्णय लिया कि बिना विमोचन के सभी सदस्यों को वितरित कर दी जावें।

* * * * *

वर्ष: 16 अंक: 02 दि.–25.01.2019

Posted on 15th and 30th of Every Month

Ferrous / Nonferrous Metals
- Chemical Composition
- UTS/Yield strenth
- % Elongation
- Hardness- Brinell, Rockwell, Vickers
- Impact - Izod / Charpy

Building, Highway Material & Project Testings
- Geotechnical Investigations
- Building material and Highway material testing
- Non destructive testing

Plastics & Rubbers
- HDPE Pipes
- PVC, CPVC & UPVC Pipes
- Drip Irrigation
- Water Tanks
- Pet Bottles & Containers

Electrical / Electronics & IT
- Led Lights
- IT equipments
- Cells & Batteries
- LED TVs.
- Microwave Oven

(As per BIS-CRS requirements)

Calibrations
- Universal Testing Machine (UTM) ✦ CTM
- Hardness / Impact tester
- Weights & Balances
- Pressure & Vaccum Gauges
- Ovens ✦ Furnaces ✦ Thermocouples
- Dial Gauges / Vernier / Scales
- Electro technical - Multimeter, Voltmeter, Ammeter, Resistance, Capacitance, Inductance

Validations & Calibrations for Hospitals & Pharma Industries
- HVAC & Clean Room Validations
- Operation Theater Validation
- Hepa filter testings
- Temperature & RH Mapping
- Calibrations of Medical & Pharmaceutical Instruments

ISO 9001 NSIC ISO 9001 : 2008

Central India's Single window solution to Industrial Testing and Calibration needs

(NABL Accredited, BIS Recognized)

Newly Introduced TOYS TESTING

ktrc Quality first & forever

KAILTECH TEST & RESEARCH CENTRE PVT. LTD.

Plot No. 141C, Electronic Complex, Pardesipura, INDORE (M.P.) 452 010 (INDIA)

Ph.:+91-731-4787555 (30 Lines) 4046055, 4048055 ◆ E-mail : contact@kailtech.net ◆ Website : www.kailtech.net

चुनाव सूचना

म.प्र. स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज आर्गेनाइजेशन के वर्ष 2019–21 का साधारण सभा सदस्यों का चुनाव दि. 23.02.2019 एवं कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारियों/सदस्यों का चुनाव 8 मार्च 2019 को निर्धारित है। वे सभी सदस्य जो 31 जनवरी 2019 तक अपनी सदस्यता शुल्क एवं अन्य देय (यदि कोई हो) का भुगतान कर देंगे, वे सभी प्राथमिक सदस्य ही चुनाव में भागीदारी कर सकेंगे।

ALL YOUR *GENERAL INSURANCE* PROTECTION UNDER ONE ROOF

Special discounted premiums for MPSSIO members under MoU signed with MPSSIO

Compare Today For Best Premium Rate

- **Fire & Burglary Insurance**
- **Motor Insurance**
- **Workmen Compensation Insurance**
- **Health & Accident Insurance**
- **Marine (Transit) Insurance, etc..**

MAYANK UPADHYAY

Mob : 9827073032, Email ID : mayank.balajiinsurance@gmail.com

BALAJI INSURANCE ADVISOR

Office Address: HIG-34, Sahara Homes, Shivaji Nagar, Bhopal - 462011

MPSSIO की ओर से संपादक **विपिन कुमार जैन** द्वारा **मोना इन्टरप्राईजेस, न्यू मार्केट, भोपाल** से मुद्रित, **विपिन कुमार जैन** द्वारा प्रकाशित तथा **ई–2/30, महावीर नगर, अरेरा कालोनी, भोपाल 462016** में प्रकाशित Ph.: 0755–2467714, 4296168 email: mpssio@rediffmail.com, Website: www.mplus.co.in